


## फर्म निबंधन संबंधी जाँच-पत्र प्रारूप।

सं0सं0-13/नि0वि0 संशोधन-28/17.....

दिनांक-.....

क्र.	विषय
1	तीन रू0 का निर्धारित शुल्क का ऑनलाईन भुगतान किया गया हो। फर्म का नाम ऑनलाईन फर्म के इन्ट्री पेज तथा आलेख पर एक समान हो क्योंकि अगर इन्ट्री पेज पर फर्म का नाम त्रुटिपूर्ण हुआ तो सर्टिफिकेट भी त्रुटिपूर्ण जेनरेट होगा।
2	फर्म का आवेदन अपलोड हो तथा आवेदन पर प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर हो।
3	फॉर्म- I अपलोड हो।
4	वेरिफिकेशन फॉर्म पार्टनर्स और गवाहों के नाम, उनके संपूर्ण पते के साथ, हस्ताक्षर सहित भरा हुआ हो।
5	वेरिफिकेशन फॉर्म पर पार्टनर्स के फोटो हों।
6	नोटराईज्ड/ राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित पार्टनरशिप डीड अपलोड हों।
7	सभी पार्टनर्स और गवाहों के एड्रेस प्रूफ अपलोड हों।
8	फर्म का एड्रेस प्रूफ अपलोड हो।
9	फर्म का प्रधान कार्यालय सही तरीके से आवेदन और फर्म के इन्ट्री पेज पर भरा हुआ हों।
10	Uploaded document में किसी प्रकार का overwriting या cutting न हो।
11	फर्म के पुनर्गठन के मामले में, पूर्व की पार्टनरशिप डीड अपलोड हों।
12	सभी अपलोडेड Document अच्छी तरह टंकित किया गया हो।
13	वेरिफिकेशन फार्म पार्टनर्स और गवाहों के पिता के नाम सहित उनके संपूर्ण पते के साथ हस्ताक्षर सहित भरा हुआ हो।
14	फर्म का प्रधान कार्यालय पूर्ण पता सहित सही तरीके से आवंटन और फर्म में इन्ट्र पेज पर भरा हुआ हो।
15	सभी अपलोडिंग दस्तावेज मूल में हों, न कि छाया प्रति।
16	इस आशय का शपथ-पत्र अपलोड हो कि "सभी अपलोड किए गए दस्तावेज सही है।"

  
 निबंधन महानिरीक्षक  
 राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग,  
 झारखण्ड, राँची।